न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर
महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 20/2017

1. भालाराम पुत्र टेकचंद जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिलाचूरू ।

अपीलांट

बनाम

1. सावित्री पत्नी स्व0 हवासिह जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. ममतादेवी पत्नी स्व0 सोमवीर जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
3. गोपीराम पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
4. भतेरी पत्नी स्व0 इन्द्रसिह जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
5. सतवीर पुत्र स्व0 इन्द्रसिह जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
6. महावीर पुत्र स्व0 इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
7. विनोद पुत्र स्व0 इन्द्रसिह जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
8. सरोज देवी पत्नी स्व0 राजवीर पुत्र स्व0 इन्द्रसिह जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
9. अंकित पुत्र स्व0 राजवीर नाबालिग जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
10. अमित जरिये कुदरती बलिया माता सरोज जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
11. सोनू जरिये कुदरती [illegible] जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
12. घडसीराम पुत्र बालूराम जाति जाट [illegible] बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
13. गुलाराम पुत्र बालूराम जाति जाट [illegible] बालाण तहसील [illegible] जिला चूरू ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

14. मीरसिंह पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
15. चुन्नीलाल पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
16. गोरधन पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
17. दुलीचंद पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू ।
18. रामसिंह पुत्र स्व0 रावताराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
19. रतनसिंह पुत्र स्व0 रावताराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
20. रामकुमार पुत्र स्व0 रावताराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
21. बलबिरसिंह पुत्र स्व0 रावताराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
22. नरेश कुमार पुत्र स्व0 रावताराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
23. बरजीदेवी पत्नी स्व0 ईसरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
24. अमीलाल पुत्र स्व0 ईसरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
25. विनोद पुत्र स्व0 ईसरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
26. अनिल पुत्र स्व0 ईसरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
27. सरबती पुत्री स्व0 ईसरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
28. इन्द्रवती पुत्री स्व0 ईसरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
29. माडी पुत्री स्व0 ईसरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
30. विघा पुत्री स्व0 ईसरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
31. सरोज पुत्री स्व0 ईसरराम जाति जाट निवासी बालाण तहसील राजगढ जिला चूरू
32. मोहनी पुत्री धन्नेसिंह जाति राजपुत निवासी बालान तहसील राजगढ चूरू ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

33. श्योराम पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी सोरडा कदीम तहसील लुजारू जिला भिवानी हरियाणा ।
34. नरसिंह पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी सोरडा कदीम तहसील लुजारू जिला भिवानी हरियाणा ।
35. गुलाब पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी सोरडा कदीम तहसील लुजारू जिला भिवानी हरियाणा ।
36. सरदार पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी सोरडा कदीम तहसील लुजारू जिला भिवानी हरियाणा ।
37. जिला भूमि विकास बैंक चूरू ।
38. बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रामपुरा तहसील राजगढ चूरू ।
39. स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा सादुलपुर चूरू ।
40. तहसीलदार राजगढ जिला चूरू ।

रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः— 1. श्री गोपीराम सिंहाग अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कृष्ण बेनीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री चन्द्रभान कुलरिया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू के निर्णय व डिक्री प्रारभिंक दिनांक 30.01.2017 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

<u>निर्णय</u> दिनांकः— 25.06.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू के निर्णय व डिक्री प्रारभिंक दिनांक 30.01.2017 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि सामुहिक खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें वादिनी अपना कब्जाकाश्त के अनुसार अलग खाता विभाजन करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद प्रस्तुत किया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन नही किया जाकर कानून विरूद्व निर्णय किया गया जिसके विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में की गयी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि ख0न093 तादादी 083 हैक्टयर, ख0न0 119 तादादी 0.01 हैक्टयर गैरमुमकिन कुंआ, ख0स0 120

तादादी 3.78 हैक्टयर कुल तादादी 4.5 हैक्टयर रोही बालान तहसील राजगढ जिला चूरू में वादिनी के 1/4 हिस्सा व खाता सं0 82 ख0न0 118 तादादी 7.49 हैक्टयर वाके रोही बालान में वादिनी के 1/24 हिस्सा व खाता सं0 30 ख0न0 304 तादादी 0.38 हैक्टयर, ख0न0 305 तादादी 12.29 हैक्टयर कुल तादादी 12.67 हैक्टयर वाके रोही बालान में वादीनी ने वर्षो पूर्व अपना हक हिस्सा अपीलांट/प्रतिवादी के हक में त्याग कर दिया उक्त विवादित भूमि में स्व0 हवासिंह के हक हिस्से के असली वारिसान स्व0 हवासिंह के स्व0 पूत्र सोमवीर की बैवा ममता रेस्पो0 सं 0 2 व उसकी पुत्री मोनीका, रेस्पो0/वादीनी द्वारा उनके हक हिस्से को हडप करने की नियत से इनका हक हिस्सा नही बताया उक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि दादालाई सम्पती है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारंभिक निर्णय व डिक्री बनाई गई है वह गलत पेश की गयी जमाबंदी के आधार पर जारी की गयी है जो काननूी रूप से खारिज किये जाने योग्य है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी को सुनवाई व साक्ष्य सबुत पेश करने का सम्पूर्ण अवसर प्रदान न करते हुऐ एक तरफा कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री जारी की है जो खारिज किये जाने योग्य है अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 30.01.17 को निरस्त करवाने का श्रम करावें ।

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि ख0न093 तादादी 083 हैक्टयर, ख0न0 119 तादादी 0.01 हैक्टयर गैरमुमकिन कुंआ, ख0स0 120 तादादी 3.78 हैक्टयर कुल तादादी 4.5 हैक्टयर रोही बालान तहसील राजगढ जिला चूरू में वादिनी के 1/4 हिस्सा व खाता सं0 82 ख0न0 118 तादादी 7.49 हैक्टयर वाके रोही बालान में वादिनी के 1/24 हिस्सा व खाता सं0 30 ख0न0 304 तादादी 0.38 हैक्टयर, ख0न0 305 तादादी 12.29 हैक्टयर कुल तादादी 12.67 हैक्टयर वाके रोही बालान में वादीनी का 1/16 हिस्सा, खाता सं0 31 ख0न0 307 तादादी 6.46 हैक्टयर में वादिनी का 1/24 हिस्सा व खाता सं0 32 ख0न0 308 तादादी 3.42 हैक्टयर, ख0न0 314 तादादी 0.15 हैक्टयर कुल तादादी 3.57 हैक्टयर वाके रोही बालान तहसील राजगढ जिला चूरू में वादिनी का 1/48 हिस्सा खातेदार काश्तकार है उक्त विवादित भूमिया सांझा खाते की भूमिया है जिस कारण काश्तकार व खातेदारान में तनाजा रहता है जिस कारण रेस्पो0/वादीनी अपनी खातेदारी भूमि का विभाजन करवाने की अधि[illegible] है । अपीलांट/प्रतिवादी रेस्पो0/वादीनी की बिना सहमति, बिना विभाजन भूमि बेचने, किश्म परिवर्तन करने पर आमादा है तथा कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने लगे है जिस कारण रेस्पो0/वादीनी द्वारा एक दावा अधिनस्थ न्यायालय में खाता विभाजन का पेश किया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/वादीनी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजी साक्ष्यों को नकारते हुऐ चिरस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested

जारी नही की व विभाजन की हद तक प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तदनुरूप वादगत कृषि भूमि में वादिनी के हक में उसके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सा करसी अनुसार खाता विभाजन मौके के कब्जा काश्त के अनुसार व किश्मवार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार राजगढ जिला चूरू से मंगवाया जाकर तदनुसार राजस्‍ रेकार्ड में अंकन किये जाने हेतु पाबंद किया । जो कानूनन रूप से सही है अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 30.01.17यथावत रखा जावे ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य व सबुत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा रेस्पो0/वादीनी द्वारा वर्षो पूर्व किया गया हक त्याग पर भी कोई निर्णय नही दिया गया । विवादित कृषि भूमि दादालाई कृषि भमि है जिस पर सभी सहखातेदारों व काश्तकारों का प्रत्येक ईंच भूमि पर समान हक हिस्सा है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी सहखातेदारों को साक्ष्य व सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये जाना चाहिये था व प्रस्तुत साक्ष्य व सबुतो पर मनन कर उसी आधार पर प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित की जानी चाहिये थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर अपीलाट की अपील आशिंक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.01.2017 को खारिज किया जाता है एवम अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वो नियमानुसार सभी पक्षकारों/सहकाश्तकारों को सुनवाई व साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करवाते हुऐ पुनः निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 25.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)

[उपखण्ड] अधिकारी एवं

पदेन [राजस्व] अपील प्राधिकारी

बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:52:45 IST
Reason: SelfAttested